भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 894

27 जून,2019 को उत्तर के लिए

jk"Vªh; 'kgjh vkthfodk fe'ku

894- Mkñ fguk xkohr%
Jherh lqfi;k lqys%
Mkñ lqHkk"k jkejko HkkEkj%
Jh lquh! $%kk&'; rVdj%
Mkñ vek'! jkefl'g dk'(g%

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई–एनयूएलएम) के तहत वास्तविक और वित्तीय रूप से उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए आजीविका के अवसरों में वृद्धि करने और कौशल विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने शहरी गरीबों को दी जाने वाली सुविधाओं को पारदर्शी बनाने के लिए और योजना की प्रगति की निगरानी करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार योग्य स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण भी कर रही है, जो योजना से कवर नहीं होते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस मिशन के अंतर्गत गरीबी को कम करने में और शहरी गरीबों को पर्याप्त आश्रय प्रदान करने में सफल नहीं रही है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार कार्यक्रमों की श्रृंखला के माध्यम से देश के सबसे गरीब लोगों में इस मिशन का विस्तार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा शहरी गरीब परिवारों के बीच गरीबी और कमजोरी को कम करने के लिए इस मिशन के अंतर्गत और अधिक से अधिक शहरी गरीब को कवर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान क्रमशः 289.71 करोड़ रु, 556.73 करोड़ रु, 49.85 करोड़ रुपये और 33.38 करोड़ रुपये की धनराशि राज्यों को जारी की गई । वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान राज्यों को 1319.67 करोड़ रु का कुल अनुदान जारी किया

गया । मिशन के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान की गई वास्तविक प्रगति का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया है।

(ख): डीएवाई-एनयूएलएम के कौशल प्रशिक्षण और नियोजन घटक के माध्यम से रोजगार के तहत उठाए गए कदमों में प्रशिक्षुओं को प्रेरित करना, प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रमाणीकरण और मजदूरी या स्वरोजगार के लिए विभिन्न पहल शामिल हैं। स्व-रोजगार के संबंध में उद्‌यमिता विकास प्रशिक्षण और स्वीकृत ऋणों पर ब्याज उपबंध जारी करने के प्रावधान हैं। आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए, शहरी गरीब, विशेषतः महिलाओं को स्व-सहायता समूह के लिए प्रेरित किया जाता है जो ऋण सुविधा के संबंध में बैंकों से जुड़े होते हैं।

(ग): दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्टीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के तहत मंत्रालय ने 26 नवंबर, 2018 को व्यक्तियों / समूहों / स्व-सहायता समूहों को स्वरोजगार उपक्रमों या सूक्ष्म उद्‌यमों की स्थापना के लिए ब्याज सबवेंशन का भुगतान सुचारू रुप से करने के लिए अफोर्डेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस (पीएआईएसए) के लिए एक पोर्टल शुरु किया है। पोर्टल बैंकों, राज्यों और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर एकत्र करके वास्तविक समय में सूचना के आदान-प्रदान को सुगम बनाता है और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण(डीबीटी) मोड के माध्यम से मासिक आधार पर ब्याज सबवेंशन प्रक्रिया का सरल तंत्र प्रदान करता है ।

(घ),(ड.),(च) और(छ) : मिशन की उपलब्धियां **अनुलग्नक-I** में दी गई हैं। संभावित लाभार्थियों की पहचान और उन्हें प्रेरित करते हुए डीएवाई-एनयूएलएम के दायरे में लाना एक सतत प्रक्रिया है।

****

अनुलग्नक -I

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान राज्यो/संघशासित क्षेत्रों की गई वास्तविक प्रगति का विवरण जन्नाा लोकसभा के दिनांक 27-06-2019 अतारांकित प्रश्न संख्या 894 के भाग (क), और (घ), (ड.),(च) व (छ) में संदर्भित हैं ।

क्रमं सं.	पैरामीटर	वित वर्ष 2016-17	वित वर्ष 2017-18	वित वर्ष 2018-19	वित वर्ष 2019-20	उपलब्धियां (कुल)
1	गठित स्वयं सहायता समूह(एसएचजी) की संख्या	84,308	97,388	90,006	6,749	2,78,451
2	एसएचजी को दिए गए परिक्रामी फंड की संख्या	71,818	74,610	75,229	3,141	2,24,798
3	कौशल प्रशिक्षण और नियोजन (ईएसटी व पी) के माध्यम से रोजगार के लिए प्रमाणीकृत उम्मीदवार और कुशल प्रशिक्षुओं की संख्या	3,33,670	1,61,705	2,84,062	11,853	7,91,290
4	ईएसटी व पी के तहत प्रमाणीकृत उम्मीदवारों की संख्या	1,51,901	1,15,416	1,63,377	9,614	4,40,308
5	स्व रोजगार कार्यक्रम (आई व जी) के तहत व्यक्तिगत / समूह सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करने के लिए सहायतार्थ लाभार्थियों की संख्या	86,219	1,16,700	1,28,416	3,746	3,35,081
6	एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत एसएचजी संवितरित ऋण लाभार्थियों की संख्या	1,70,610	1,36,157	1,10,863	3,870	4,21,500
7	शहरी बेघरों के लिए आश्रय के तहत स्वीकृत आश्रय की संख्या (एसयूएच) (संचयी)	1,810				1,810
8	एसयूएच (संचयी) के तहत आश्रय संचालन की संख्या	1,411				1,411
9	शहरी पथ विक्रेताओं (संचयी) की सहायता के तहत शहरों की संख्या जहाँ पथ विक्रेता सर्वेक्षण पूरा हो चुका है	2,430				2,430

****